

यूजीसी का नया निर्देश : विवि करेगा पालन

वरिष्ठ शिक्षाविद-अधिकारी आ सकेंगे 'विशिष्ट अभ्यागत विद्वान' बनकर व्याख्यान देने

इंदौर ● स्वदेश समाचार

देअविचि के या अन्य महाविद्यालयों में भी वरिष्ठ शिक्षाविद व्याख्यान (पढ़ने) के लिए जा सकेंगे। उक्त शिक्षाविदों या अधिकारियों को 'विशिष्ट अभ्यागत विद्वान' माना जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए हैं। यहां देअविचि को भी उक्त निर्देश भेजकर अवगत कराया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में वरिष्ठ शिक्षाविदों तथा अधिकारियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाए। इसके अनसार विवि अनुदान आयोग ने 9 अप्रैल को आयोजित 540वीं बैठक में वरिष्ठ शिक्षाविदों-अधिकारियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु दिशा निर्देशों को



अनुमोदित किया है। इस प्रकार के शिक्षक 'विशिष्ट अभ्यागत विद्वान' के रूप में नामित होंगे। इसमें वरिष्ठ शिक्षाविद,

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ उद्योगकर्मी और प्रख्यात व्यक्तित्व जिन्होंने संबद्ध-प्रासंगिक-अनुप्रयुक्त विषय के

ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है, 'विशिष्ट अभ्यागत विद्वान' के रूप में आमंत्रित किए जाने के लिए योग्य होंगे। विशिष्ट अभ्यागत विद्वान संबद्ध विश्वविद्यालय-संस्थान से बाहर के विश्वविद्यालय-संस्थान से आमंत्रित किए जाएंगे। विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव संबंधित स्कूल-विभाग-केन्द्र द्वारा शुरू किया जाएगा। आमंत्रण को कुलपति-संस्थान के प्रमुख के अनुमोदन के साथ विस्तारित किया जाएगा। विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को एक घंटे की अवधि के लिए प्रति व्याख्यान मानदेय 5000 का भुगतान किया जा सकता है तथा उक्त विद्वानों को एकल व्याख्यान-शृंखला व्याख्यान के लिए भी आमंत्रित किया जा सकता है।

35 विभागों के स्टाक को जांचने के लिए सदस्य तय किए कुतपति ने

इंदौर ● कुलपति द्वारा विवि के खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर में समस्त विभागों के स्टाक सत्यापन का निरीक्षण करने के लिए सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है। शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिए डॉ. रेखा गर्द, डॉ. अर्चना सिंह और ऑलोक तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही फार्मसी में डॉ. मुरेश चंद्र, डॉ. कन्हैया आहूजा और डॉ. शोला जोशी, इलेक्ट्रॉनिक्स में डॉ. आनंदकर और अन्य, आईटी सेंटर में डॉ. निरंजन श्रीवास्तव और अन्य, ईएमआरसी में डॉ. वृंदा टोटेकर और अन्य, पत्रकारिता जनसंचार अध्ययनशाला में डॉ. शांति प्रकाश सहित दो अन्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एमएससी के परीक्षा आवेदन पर 9 से 100 रु. विलम्ब शुल्क

इंदौर ● देअविचि द्वारा एमएससी के परीक्षा फार्म 9 से 12 जून तक जमा करने पर विद्यार्थियों से 100 रुपए विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। इसके पहले सामान्य शुल्क में यह 8 जून तक जमा किए जा सकेंगे। देअविचि से प्राप्त जानकारी के अनुसार 'पीजी में' द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2019-20 के लिए एमएससी, एमएसएचसी और एमकॉम के दूसरे सेमेस्टर की उक्त परीक्षाएं जुलाई में होने की संभावना है। इसके लिए आवेदन भरने की तारीखें विवि ने दी हैं।

अप्रैल 16/2019